


प्रेस विज्ञापित

समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) परीक्षा, 2016 को निरस्त किये जाने के संबंध में :-

समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) परीक्षा, 2016 दिनांक 27.11.2016 को प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की गयी थी। परीक्षोपरान्त वादी अमिताभ ठाकुर द्वारा थाना हजरतगंज, लखनऊ में कथित रूप से परीक्षा के दोनों प्रश्नपत्र आउट हो जाने के विषय में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी, जिसकी जाँच सी०बी०सी०आई०डी० लखनऊ द्वारा की गयी। जाँचोपरान्त सी०बी०सी०आई०डी० द्वारा दिनांक 21.09.2018 को प्रकरण में अन्तिम रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की गयी, जिसमें वादी अमिताभ ठाकुर द्वारा अन्तिम रिपोर्ट के विरुद्ध आपत्ति दाखिल की गयी। विशेष न्यायाधीश, सी०बी०सी०आई०डी० लखनऊ ने अपने आदेश दिनांक 01.01.2020 द्वारा सी०बी०सी०आई०डी० के द्वारा प्रस्तुत अन्तिम रिपोर्ट को निरस्त कर दिया है तथा प्रकरण की पुनः जाँच किये जाने हेतु आदेशित किया है।

इस प्रकरण में मा० आयोग की दो सदस्यीय जाँच समिति की संस्तुति एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट सी०बी०सी०आई०डी० लखनऊ के आदेश दिनांक 01.01.2020 को संज्ञान में लेते हुए आयोग ने यह विचार किया कि उक्त पुनः जाँच कराये जाने विषयक आदेश के क्रम में प्रारम्भिक परीक्षा का परिणाम अनिश्चितकालीन रूप से अधर में लटक गया है। आयोग द्वारा इस तथ्य को महत्व दिया गया है कि जब तक प्रश्नगत आपराधिक वाद निस्तारित नहीं होता तब तक प्रारम्भिक परीक्षा का परिणाम घोषित करने संबंधी निर्णय लिया जाना सम्भव नहीं होगा जिससे अनिश्चितता की स्थिति बनी रहेगी। इस संबंध में सम्यक् विचारोपरान्त समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) परीक्षा, 2016 को निरस्त करते हुए पुनर्परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया। इसके लिए जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में आवेदन किया गया है उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी एवं तत्समय पंजीकृत समस्त अभ्यर्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति होगी। इसके लिए कोई पृथक से विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा।

यह भी निर्णय लिया गया कि इस परीक्षा को समयबद्ध तरीके से कराकर अन्तिम परिणाम घोषित करने का प्रयास किया जाएगा। इसी परिप्रेक्ष्य में प्रारम्भिक परीक्षा की सम्भावित तिथि 03 मई, 2020 नियत की गयी है।


(अरविन्द कुमार मिश्र)
परीक्षा नियंत्रक